छत्तीसगढ़ की चतुर्थ विधानसभा

प्रथम सत्र

श्री शेखर दत्त

राज्यपाल,छत्तीसगढ़

का

अभिभाषण

दिनांक 07 जनवरी 2014

माननीय सदस्यगण,

विधानसभा चुनाव-2013 में निर्वाचित हो कर, इस सदन में पहुंचने और छत्तीसगढ़ राज्य की चतुर्थ विधानसभा के गठन के लिए मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।

2. इस सदन के माध्यम से सबसे पहले मैं प्रदेश के उन मतदाता भाइयों और बहनों का अभिनंदन करता हूं, जिनकी जागरूकता और सक्रिय भागीदारी के कारण 77 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ, जो विगत विधानसभा चुनाव की तुलना में लगभग 7 प्रतिशत अधिक है। यह लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में आगे बढ़ने का सशक्त प्रमाण है। मैं भारत निर्वाचन आयोग, राज्य में निर्वाचन से जुड़े समस्त पदाधिकारियों, अधिकारियों-कर्मचारियों, सुरक्षा बलों के साथ ही उन सभी को साधुवाद देता हंू, जिनके सहयोग से चुनाव निष्पक्ष तथा शांतिपूर्वक संपन्न हुए।

3. राज्य में विकास और खुशहाली बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं, इस दिशा में आपके प्रयासों पर पूरे प्रदेश की निगाहें लगी रहेंगी। मतदाताओं की आकांक्षाओं और जनादेश का सम्मान करना मेरी सरकार तथा आप सबकी जिम्मेदारी है। मुझे विश्वास है कि हम अपने दायित्वों का निर्वहन अच्छे ढंग से करेंगे।

4. मेरी सरकार ने प्रदेश के मेहनती किसानों का पूरा धान समर्थन मूल्य पर खरीदने के संकल्प को पुनः पूरा किया और सर्वाधिक धान खरीदी का एक और कीर्तिमान दर्ज किया है। विगत वर्ष 71 लाख 36 हजार मीट्रिक टन धान खरीद कर किसानों को समर्थन मूल्य तथा बोनस मिलाकर 10 हजार 922 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। बैंक खातों में सीधे राशि जमा करने की नई व्यवस्था से किसानों को सुरक्षा के साथ नई सुविधा का लाभ मिला है।

5. मेरी सरकार ने शपथ लेने के दिन से ही जनता से किए गए वायदे तथा आगामी कार्य-योजना पर क्रमशः अमल प्रारंभ कर दिया है। चूंकि केन्द्रीय पूल के लिए राज्य शासन द्वारा भारत सरकार की ओर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जाता है, इसलिए मेरी सरकार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर धान खरीदी की दर 2100 रूपए प्रति क्ंिवटल करने का विनम्र अनुरोध किया गया है। मेरी सरकार को विश्वास है कि केन्द्र शासन अन्नदाताओं की मेहनत का सम्मान करते हुए उन्हें धान का वाजिब दाम प्रदान करेगी। इस बीच केन्द्र शासन के निर्णय का इंतजार न करते हुए मेरी सरकार ने अपने वायदे के मुताबिक किसानों को इस खरीफ सीजन के धान पर 270 रूपए के स्थान पर 300 रूपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के वास्तविक किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सतत् जारी है।

6. प्रदेश को भूख और कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए मेरी सरकार ने देश में पहली बार कारगर 'छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम-2012' लागू किया। अब इसकी भावना के अनुरूप 1 जनवरी, 2014 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 1 रुपए प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल अथवा गेहूं देने की शुरूआत भी कर दी गई है, जिससे प्रदेश के लगभग 48 लाख अतिरिक्त गरीब परिवारों को मिलाकर, कुल 65 लाख परिवारों के आत्म-सम्मान के साथ ही अच्छे स्वास्थ्य, जीवन स्तर और कार्य-क्षमता वृद्धि में भी मदद मिलेगी। मेरी सरकार अपने कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए एक ओर जहां उदारतापूर्वक पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न देगी, वहीं दूसरी ओर अधिनियम के प्रावधानों के तहत इसका गलत लाभ लेने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने में भी नहीं हिचकेगी। राशन कार्डों पर परिवार की वरिष्ठ महिला सदस्य का नाम मुखिया के रूप में दर्ज किया गया है, जो महिला सशक्तीकरण का माध्यम भी बना है।

7. अपने वायदे के अनुसार ही मेरी सरकार ने 'अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना' की शुरूआत

राज्य निर्माता व पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिन, 25 दिसम्बर, 2013 के अवसर पर कर दी है, जिससे लगभग 17 लाख खेतिहर मजदूर परिवारों को जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा तथा छात्रवृत्ति का सुरक्षा कवच मिलेगा।

8. मेरी सरकार ने त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए पंचायतों को दी जाने वाली, राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व की राशि को 4.79 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.15 प्रतिशत कर दिया है, इसके कारण पंचायतों को मिलने वाली राशि अब बढ़कर 781 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष हो गई है। मेरी सरकार ने छत्तीसगढ़ को ऐसा पहला राज्य बनने का गौरव दिलाया है, जहां ग्रामीण रोजगार 100 से बढ़ाकर 150 दिन किया गया है। इसके साथ ही गर्भवती महिला मजदूरों को मातृत्व अवकाश भत्ता दिलाया है। इस पहल के कारण इस वर्ष राज्य में 55 हजार से अधिक परिवारों को 12 लाख 16 हजार से ज्यादा मानव दिवस का अतिरिक्त रोजगार दिया गया।

9. यह बड़े गौरव की बात है कि विगत वर्ष पूरे देश की जिन 18 ग्राम पंचायतों को 'राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार' मिला है, उनमें से एक छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की गगौली ग्राम पंचायत भी है। मेरी सरकार चाहेगी कि आप, पंच-सरपंच तथा त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के पदाधिकारीगण के साथ ग्रामवासियों की आवाज मुखर करें और उन्हें विभिन्न योजनाओं का भरपूर लाभ दिलाएं, 'फुलवारी योजना', 'स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना' 'आजीविका कौशल परियोजना' जैसी हितग्राहीमूलक योजनाओं के लिए पात्र व्यक्तियों को प्रेरित करें तथा गांवों में बुनियादी अधोसंरचना के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने का माध्यम भी बनें।

10. गांवों में रोजगार के परम्परागत अवसरों को नई चमक देने के लिए हाथकरघा उद्योग, रेशम उत्पादन, हस्तशिल्प, माटीशिल्प के क्षेत्र में मेरी सरकार ने प्रशिक्षण, वित्त पोषण और विपणन की सुविधाएं बढ़ाई है। इनका लाभ उठाने के लिए संबंधित अंचलों में सकारात्मक वातावरण बनाने में और तेजी लाई जाएगी। ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक एवं प्राकृतिक महत्व के चिन्हांकित 121 बहुआयामी पर्यटन स्थलों के विकास के लिए मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। पर्यटन स्थलों में लोक-कलाओं के प्रदर्शन तथा स्थानीय बुनकरों, शिल्पियों व अन्य प्रकार के उत्पादन में लगे लोगों को विपणन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। हस्तशिल्पियों के अधिकारों की रक्षा के लिए जी.आई. पंजीकरण कराया गया है, जिससे उनके उत्पादों की नकल संभव नहीं हो सकेगी। साथ ही हस्तशिल्प सामग्री की 'ऑन लाइन मार्केटिंग' हेतु वेबसाइट भी प्रारम्भ की गई है।

11. मेरी सरकार ने मातृशक्ति की ममता और जतन से महिलाओं तथा बच्चों की कल्याणकारी योजनाओं को ज्यादा असरदार बनाने का निर्णय लिया है, इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यान्ह भोजन, पूरक पोषण आहार एवं छात्रों को गणवेश वितरण का सभी कार्य लगभग 70 हजार स्थानीय महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इन समूहों को कौशल विकास का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की जाएगी।

12. मेरी सरकार ने आंगनवाड़ी केन्द्रांे को किशोरियों, महिलाओं तथा शिशुओं के सर्वांगीण विकास के प्रभावशाली केन्द्र के रूप में विकसित करने के अनेक उपाय किए हैं, साथ ही कुपोषण की रोकथाम, बेटियों की शिक्षा व स्वावलम्बन हेतु कारगर योजनाएं प्राथमिकता में रहेंगी।

13. मेरी सरकार एक ओर जहां लगातार राज्य में अच्छी सड़कों, बायपास मार्ग, रेलवे के अंडरब्रिज एवं ओव्हरब्रिज का जाल बिछाकर यातायात सुगम करेगी, वहीं दूसरी ओर परिवहन सुविधाओं में भी सुधार करने हेतु 'हाईसिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट' की परियोजना लागू करने की

कार्यवाही की जा रही है, जिससे सुरक्षा और सुगमता का लाभ वाहन मालिकों, चालकों व जनता को मिलेगा। 52 नगरीय निकायों में सिटी बस सेवा का संचालन शीघ्र प्रारम्भ किया जाएगा।

14. रायपुर आने-जाने वाले वायुयानों व यात्रियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। राज्य सरकार ने रायपुर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय मापदण्ड के अनुरूप बनाने के लिए 'एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया' को भूमि उपलब्ध कराई है तथा रायगढ़ में हवाई अड्डा विकसित करने हेतु एमओयू किया गया है। अम्बिकापुर हवाई पट्टी का विस्तार कार्य किया जा रहा है। बलरामपुर, दन्तेवाड़ा तथा बीजापुर में नई हवाई पट्टी स्वीकृत की गई है, जिससे संबंधित कार्य पूरे किए जाएंगे।

15. मेरी सरकार ने 'हर घर में बिजली और हर खेत में पानी' पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अनेक बुनियादी उपाय किए हैं। वर्ष 2003 में विरासत में मिली 1 हजार 360 मेगावॉट की विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 2 हजार 424 मेगावॉट तक पहुंचाने की सफलता दर्ज की जा चुकी है। आगामी एक वर्ष में जांजगीर-चांपा जिले के मड़वा-तेन्दूभाठा में एक हजार मेगावाट क्षमता के नए बिजलीघर में उत्पादन शुरू कर, राज्य की कुल उत्पादन क्षमता 3 हजार 424 मेगावॉट तक बढ़ा ली जाएगी। बीपीएल परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन व घनी आबादी में विद्युत लाइन ले जाने के लिए 'मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना' के विस्तार हेतु सरकार संकल्पित है।

16. मेरी सरकार किसान भाई-बहनों को निर्धारित सीमा तक निःशुल्क विद्युत प्रदाय तथा फ्लैट रेट पर बिजली बिल भुगतान के विकल्प के साथ ही मांग के अनुरूप सिंचाई पम्प कनेक्शन प्रदान करने के लिए यथोचित उपाय करेगी। राज्य में 'जीरो पॉवर कट' के प्रयासों से छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान और प्रतिष्ठा मिली है, इस स्थिति में गुणात्मक सुधार का सिलसिला भी जारी रहेगा। उपभोक्ता सेवा की दिशा में एक और कदम उठाते हुए पूरे प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतें दर्ज कराने और समाधान पाने के लिए रायपुर में राज्यस्तरीय 'कॉल सेन्टर' प्रारम्भ किया गया है।

17. सिंचाई परियोजनाओं के आकार लेते जाने से राज्य में जो सिंचाई क्षमता वर्ष 2003 में लगभग 15 लाख हेक्टेयर थी, वह अब बढ़कर 19 लाख हेक्टेयर हो गई है। राज्य की चिन्हांकित सिंचाई क्षमता, जो लगभग 43 लाख हेक्टेयर है, तक पहुंचाने को चरणबद्ध रूप से पूरा किया जा सकता है। केलो जलाशय, अरपा-भैंसाझार वृहद सिंचाई परियोजनाओं के साथ अनेक मध्यम, लघु परियोजनाओं तथा एनीकटों का निर्माण निकट भविष्य में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

18. शहरों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने के क्रम में 124 नगरीय निकायों में बीपीएल परिवारों को 'भागीरथी नलजल योजना' के तहत 70 हजार से अधिक कनेक्शन निःशुल्क दिए जा चुके हैं। कवर्धा नगर पालिका को 'भागीरथी नल-जल योजना' के क्रियान्वयन के लिए गरीबों को सुविधा देने की श्रेणी में 'नेशनल अरबन वाटर एवार्ड' का विजेता चुना गया है, इससे प्रदेश का मान बढ़ा है। जल आवर्धन योजना 54 नगरीय निकायों में पहुंच चुकी है। क्रमबद्ध रूप से समस्त नगरीय निकायों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। 'पीपीपी मॉडल' पर सफाई व्यवस्था का दायरा 7 नगर निगमों, 32 नगर पालिका परिषदों और जिला मुख्यालयों की नगर पंचायतों तक बढ़ाया जा रहा है।

19. ग्रामीण अंचलों में शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए हैण्डपम्प, नलजल प्रदाय योजना, स्थल जल प्रदाय योजना में तेजी लाकर चरणबद्ध रूप से शत्-प्रतिशत आबादी को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, वहीं पूर्ण योजनाओं को संचालन तथा संधारण के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने में तेजी लाई जाएगी। जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में मंजूर योजनाओं पर

अमल के लिए जिलास्तरीय दो कार्यालय बेमेतरा तथा जगदलपुर में स्थापित किए गए हैं। वनबाधायुक्त एवं दूरस्थ बसाहटों में सौर ऊर्जा चालित 460 पम्प विगत दो वर्षों में लगाए गए हैं। 10 आईएपी जिलों में 960 सोलर पम्प लगाने का कार्य शीघ्र पूरा किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर जल गुणवत्ता की जांच हेतु 'फील्ड टेस्ट किट' दिए गए हैं।

20. राज्य में खेल अधोसंरचना के विस्तार के क्रम में राजनांदगांव एवं रायपुर में सिंथेटिक सतह के हॉकी स्टेडियम का निर्माण कार्य अंतिम चरणों में है। रायपुर में सिंथेटिक सतह के एथलेटिक ट्रैक का निर्माण कार्य भी शुरू किया जा रहा है। मेरी सरकार चाहती है कि गांवों से लेकर शहरों तक खेल-प्रतिभाओं को अपनी दक्षता निखारने के अवसर मिलें, हमारे खिलाड़ी विभिन्न खेलों में पारंगत हों, बेहतर प्रशिक्षण पाएं, बड़ी प्रतियोगिताओं में जाएं, विजयी बनकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें तथा अपना सुनहरा भविष्य भी बनाएं।

21. मेरी सरकार यह मानती है कि युवाओं के हित में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षण-प्रशिक्षण को अधिक सुदृढ़, व्यापक और व्यावहारिक बनाने की जरूरत है। युवाओं को कौशल विकास का अधिकार देने के लिए देश में पहली बार मेरी सरकार ने नया कानून बनाया है, जिसके तहत आवेदन देने पर 90 दिन के भीतर यथोचित प्रशिक्षणों की व्यवस्था की जाएगी। विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को सुदृढ़ करने के अलावा 'लाइवलीहुड कॉलेजों' को राज्य के सभी जिलों में स्थापित किया जाएगा और निजी क्षेत्र को भी इस काम में 'मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना' और अन्य योजनाओं के तहत भागीदार बनाया जाएगा।

22. आई.टी.आई. और पॉलीटेक्निकों में संचालित पाठ्यक्रम राष्ट्रीय और वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप हों, यह सुनिश्चित करने के लिए उद्योग, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षण-प्रशिक्षण से जुड़े व्यक्तियों के साथ समीक्षा कर संसाधनों का बेहतर नियोजन करते हुए पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाएगा।

23. राज्य में तकनीकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलीटेक्निकों में लंबे अरसे से चली आ रही शिक्षकों की कमी को दूर करने का काम प्राथमिकता से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में नवीन तकनीकी क्षेत्रों में स्नातकोत्तर स्तर पर विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों की स्थापना कर अकादमिक और शोध क्षमताओं का विकास किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ती हुई आवश्यकताओं और संभावनाओं को देखते हुए एक विश्वविद्यालय के रूप में 'अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान' नया रायपुर में भी शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा।

24. मेरी सरकार ने युवाओं के व्यावहारिक ज्ञान तथा उनका नजरिया विकसित करने के लिए 'मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना' प्रारंभ की है, इस योजना के तहत युवाओं को प्रेरणादायक स्थानों पर भ्रमण हेतु भेजने की व्यवस्था निरंतर जारी रखी जाएगी।

25. प्रदेश के युवाओं के लिए 'मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना-2013' एक वरदान साबित हो सकती है, मैं चाहूंगा कि आपकी प्रेरणा से युवा साथी इस योजना का लाभ उठाते हुए उद्योग, व्यवसाय एवं सेवा कार्यों हेतु अधिकाधिक संख्या में बैंक से ऋण प्राप्त कर स्वावलंबी बनें।

26. युवाओं को नए जमाने की प्रौद्योगिकी और उपकरण से सुसज्जित करने की योजना के तहत विगत वर्ष महाविद्यालयों में अध्ययनरत अंतिम वर्ष के छात्र-छात्राओं को लैपटॉप अथवा टेबलेट निःशुल्क दिए गए। इस पहल से हमारे प्रदेश के युवा, देश और दुनिया के नए अवसरों से जुड़ रहे हैं।

27. मेरी सरकार ने राज्य में 'सूचना प्रौद्योगिकी' तथा 'सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं' में निवेश के लिए आकर्षक नीति लागू की है, अब इस नीति के अनुरूप छत्तीसगढ़ को 'आईटी हब' बनाने के प्रयासों को गति दी जाएगी। राज्य में ग्राम स्तर तक ई-गवर्नेन्स सेवाएं पहुंचाने के लिए 'ई-जिला परियोजना' का क्रियान्वयन किया जाएगा, जिसके तहत ग्राम स्तर तक विभिन्न विभागों की नागरिक सेवाओं की प्रदायगी 'सामान्य सेवा केन्द्रों' एवं 'चॉइस केन्द्रांे' के माध्यम से की जाएगी।

28. मेरी सरकार ने विद्यार्थियों और युवाओं को कई नई सुविधाएं देकर उनका मनोबल बढ़ाया है। चयन प्रक्रिया स्थगित रहने के कारण वंचित स्थानीय निवासियों को शासकीय सेवा में सीधी भर्ती के पदों पर 31 दिसम्बर, 2014 तक केवल आगामी भर्ती में एक बार के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया है। कोई दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध न होने पर ग्राम सभा द्वारा आवेदक की जाति के संबंध में किए गए सत्यापन के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था दी गई है। शासकीय सेवा में आरक्षित पदों पर नियुक्ति, शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षित सीटों पर प्रवेश, निर्वाचन, मनोनयन, नामांकन की स्थिति में जाति प्रमाण-पत्रों के अग्रिम सत्यापन की बाध्यता समाप्त की गई है।

29. 'मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना', 'विज्ञान वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना', 'ऑन लाइन छात्रवृत्ति प्रदाय' 'युवा कैरियर निर्माण योजना' जैसी पहल से विद्यार्थियों को तथा 'मिनीमाता स्वावलम्बन योजना' एवं 'शहीद वीरनारायण सिंह स्वावलम्बन योजना' जैसे उपायों के माध्यम से मेरी सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों एवं युवाओं के मन में प्रगति की जो अलख जगाई है, वह निरंतर प्रकाशमान रहनी चाहिए।

30. मेरी सरकार ने वनवासियों के जीवन में नई सुविधाओं की महक बिखेरते हुए 26 जनवरी, 2014 तक छत्तीसगढ़ के आबाद 420 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है, जिससे लगभग 40 हजार परिवारों को राजस्व ग्राम तथा कल्याण कार्यक्रमों का लाभ मिलेगा। एक और बड़ा निर्णय लेते हुए संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को कूपों के विदोहन से प्राप्त होने वाली काष्ठ पर हिस्सेदारी 15 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तथा बांस के उत्पादन से ग्रामीणों का लाभांश 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत किया गया है।

31. मेरी सरकार ने आदिवासी एवं वनवासी परिवारों को उनकी परम्परागत आजीविका के कार्यों में भी ज्यादा आय व सुविधाएं दिलाने के लिए तेंदूपत्ता के कारोबार में व्यापक सुधार किया, जिससे तेंदूपत्ता संग्राहकों को काफी लाभ मिला। अब इमली, चिरौंजी, महुआ बीज, लाख एवं कोसा-कुकून की शासकीय खरीदी 'छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ' द्वारा की जाएगी। इस नई व्यवस्था में यदि कोई घाटा होगा तो उसकी प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी। 14 लाख वनोपज संग्राहक परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। वनों की सुरक्षा, विस्तार और वनवासियों के कल्याण की योजनाएं प्राथमिकता से जारी रखी जाएंगी।

32. पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की अनुशंसा पर मेरे द्वारा अनेक जनहितकारी निर्णय लिए गए हैं। मैं चाहूंगा कि आप इन निर्णयों का व्यापक लाभ आदिवासी समाज को दिलाना सुनिश्चित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण फैसलों का उल्लेख करना चाहूंगा-बस्तर एवं सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के मात्र स्थानीय निवासी के लिए जिला संवर्ग के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती हेतु नियम को शिथिल किया गया है। 33. अनुसूचित क्षेत्र के जिलों में हर साल रिक्त पदों के

विरूद्ध होने वाली नियुक्ति में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों में से 20 प्रतिशत पदों पर विशेष पिछड़ी जनजातियों के आवेदकों का चयन किया जाएगा। ऐसे आवेदकों को भर्ती में विहित प्रक्रिया से छूट दी गई है। इस वर्ग को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त में भी छूट प्रदान की गई है।

34. मेरी सरकार की पहल पर मेरे द्वारा 'अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम' में संशोधन कर निरस्त दावों को स्वमेव पुनरीक्षण की श्रेणी में लिया गया है। अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों को धार्मिक कार्यक्रमों के समय पारिवारिक उपयोग के लिए स्थानीय पेय के रूप में बनी 5 लीटर तक लांदा, हड़िया को अनुसूचित क्षेत्र की सीमा में परिवहन की छूट दी गई है और अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा इस सीमा से अधिक परिवहन का अपराध किए जाने की स्थिति में अपराध को जमानती बनाए जाने का प्रावधान किया गया है।

35. बस्तर क्षेत्र के लिए भारत सरकार के 'खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम' में संशोधन किया गया है। टिन अयस्क के अतिरिक्त नियोबियम एवं टेन्टेलम के अयस्कों के संग्रहण का अधिकार भी बस्तर क्षेत्र में निवासरत स्थानीय अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की सहकारी समितियों को प्रदान किया गया है, जिससे स्थानीय अनुसूचित जनजाति के संग्राहकों को इन खनिजों का समुचित मूल्य प्राप्त होगा।

36. राज्य के विकास की तेज गति के साथ शहरीकरण का विकास भी होता है, ऐसे में शहरों का नियोजन तथा आवास की व्यवस्था की चुनौती भी होती है। मेरी सरकार ने विकास के अनुरूप पर्यावरण सम्मत व्यवस्थाएं करने का बीड़ा उठाया है और इसी के तहत आवास व नगरीय विकास से संबंधित प्रचलित नियमों-कानूनों में संशोधन कर सुधार की प्रक्रिया को गति दी गई है। इस तरह राज्य में मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को किफायती दरों पर गुणवत्तायुक्त आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 15 नगरों में मास्टर प्लान प्रभावशील है, तो 20 नगरों के लिए मास्टर प्लान तथा 5 नगरों के लिए पुनर्विलोकित मास्टर प्लान बनवाए जा रहे हैं।

37. मेरी सरकार के अथक प्रयासों से प्रदेश की गरिमा के अनुरूप राजधानी 'नया रायपुर' के सपनों में अब रंग भरने लगे हैं। मंत्रालय तथा विभागाध्यक्ष कार्यालयों का स्थानांतरण नया रायपुर स्थित नए भवनों में हो गया है। अब 'नया रायपुर' की आवासीय कॉलोनियों में बसाहट बढ़ाने हेतु नागरिक सुविधाएं बढ़ाने का कार्य प्रगति पर है। नया रायपुर में 7 किलोमीटर फोरलेन सड़क, 31 किलोमीटर साइकिल ट्रेक एवं पैदल पथ बनाने के साथ आधुनिक सिटी बस सेवा परिचालन का काम प्राथमिकता से किया जाएगा।

38. मेरी सरकार 'छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल' तथा 'छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल' के तहत 100 से अधिक तरह का काम करने वाले लगभग 13 लाख कर्मकारों का पंजीयन कर उन्हें 20 से अधिक योजनाओं का लाभ दिला रही है। इन योजनाओं के तहत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को बेहतर आय, बेहतर सुरक्षा और बेहतर भविष्य देने के उपाय जारी रखे जाएंगे। प्रदेश के 4 नए जिलों में श्रम पदाधिकारी कार्यालय, 2 नए जिलों में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय, 7 नए औषधालय प्रारम्भ होने से संगठित क्षेत्र के कामगारों की सुविधाएं बढेगी।

39. मेरी सरकार ने बढ़ती जीवन प्रत्याशा का सम्मान करते हुए राज्य सरकार तथा संबद्ध संस्थाओं के कर्मचारियों तथा अधिकारियों की सेवा निवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है। 'छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना' के अंतर्गत हर साल वरिष्ठ नागरिकों का तीर्थ करने का

सपना पूरा कराया जाएगा। निःशक्तजनों के सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए एक नई नीति तैयार की जा रही है, जिसे शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा।

40. मेरी सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के साथ चिकित्सा शिक्षा के विस्तार हेतु भी बड़े कदम उठाए हैं। जगदलपुर के बाद रायगढ़ में भी नया मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किया गया है। अब राजनांदगांव तथा अम्बिकापुर में भी नए मेडिकल कॉलेज जल्दी प्रारंभ करने की दिशा में समुचित प्रयास किए जा रहे हैं। 'छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय' की स्थापना कर स्वास्थ्य शिक्षा की विभिन्न विधाओं को इसके अंतर्गत रखा गया है। मुझे खुशी है कि इस विश्वविद्यालय से संबद्ध मेडिकल, आयुर्वेदिक डेंटल, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी आदि महाविद्यालयों की संख्या सिर्फ तीन वर्षों में 57 से बढ़कर 84 और विद्यार्थियों की संख्या लगभग दो हजार से बढ़कर लगभग 12 हजार हो गई है।

41. मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, संशोधित संजीवनी कोष योजना, आरोग्य सेवा, महतारी एक्सप्रेस, संजीवनी एक्सप्रेस, सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क जेनेरिक दवा वितरण जैसी योजनाओं और अस्पतालों के आधुनिकीकरण जैसे कार्यों का लाभ आम जनता को मिल रहा है। मेरी सरकार चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने हेतु नए प्रयास भी करेगी।

42. मेरी सरकार शालाओं में मूलभूत सुविधाएं जुटाने का अभियान चला रही है, जिसके तहत विद्युत, पेयजल, शौचालय तथा स्वयं के शाला भवन निर्माण को शत-प्रतिशत पूर्ण किया जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 1 लाख 40 हजार शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम भी शीघ्र पूर्ण होगा। बालिका शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली 'सरस्वती सायकल योजना', प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर बीपीएल तथा एपीएल परिवार के बच्चों को दो-दो सेट गणवेश का प्रदाय जैसी योजनाओं के अमल में कसावट लाई जाएगी।

43. मुझे खुशी है कि मेरी सरकार ने खनिज संसाधनों के युक्तियुक्त दोहन तथा राज्य के भीतर ही 'वेल्यू एडीशन' करने वाले उद्योगों की स्थापना की नीति अपनाकर 'कोर-सेक्टर' का समुचित विकास किया और अब अधिक रोजगार की संभावना वाले पर्यावरण सम्मत 'नॉन कोर-सेक्टर' के उद्योगों के विकास पर ध्यान दे रही है, जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं।

44. राज्य में न्याय व्यवस्था को सहज और सुलभ बनाने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। 16 जिलों में 'फास्ट ट्रैक कोर्ट' स्थापित करने के लिए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सहित 144 अस्थायी पदों का सृजन, 8 जिला न्यायाधीश सहित 236 पदों का सृजन, 5 नए जिलों में राजस्व जिलों को सिविल जिला घोषित करने, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत 5 जिलों में विशेष न्यायालय स्थापित करने हेतु 50 अस्थाई पद सृजित किए गए हैं।

45. मेरी सरकार कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से जनहितकारी तथा सर्वांगीण विकास को गति देने के साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने के लिए भी संकल्पबद्ध है। प्रोक्योरमेंट एवं कार्य संबंधी खुली निविदाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु शासन के सभी विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों, मंडलों, निकायों एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में संविदा-पूर्व 'सत्यनिष्ठा संधि' लागू की गई है। हितग्राही मूलक योजनाओं में निःशुल्क सामग्री प्रदाय करने के स्थान पर सामग्री के मूल्य के बराबर राशि हितग्राहियों के बैंक खातों में नगद जमा कराने की व्यवस्था लागू की गई है। विभिन्न शासकीय विभागों में जनता के कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने हेतु लोकसेवा गारंटी अधिनियम के माध्यम से व्यवस्था की गई है। राज्य में दीर्घ कालिक उच्च गुणवत्ता की सम्पत्तियों के निर्माण और सेवाओं में 'छत्तीसगढ़ राज्य सार्वजनिक निजी भागीदारी नीति' का

पालन प्रभावी ढंग से हो। मेरी सरकार पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने के लिए व्यापक जनभागीदारी से हर संभव उपाय करेगी।

46. मेरी सरकार ने 'भय मुक्त छत्तीसगढ़' के निर्माण हेतु समुचित कदम उठाए हैं, जिसका सशक्त प्रमाण दूरस्थ वनांचलों में मतदान का प्रतिशत बढ़ना भी है। 'छत्तीसगढ़ एसिड का विनियमन, प्रतिबंध एवं उपयोग अधिनियम', 'छत्तीसगढ़ निजी नियोजन अभिकरण अधिनियम' जैसे कानूनी उपायों तथा 'छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकार' का गठन जैसे नए संस्थागत प्रयासों का लाभ भी जन-सामान्य को मिलेगा। राज्य में पुलिस बल बढ़ाकर तीन-गुना कर दिया गया है, एक हजार महिला होमगार्ड की भर्ती की जा रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की चुनौतियों का सामना करने वाले सुरक्षा बलों की सुविधाओं में वृद्धि, नक्सल हिंसा पीड़ित परिवार की राहत राशि में वृद्धि, विशेष बीमा राशियों में वृद्धि जैसे उपायों से सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाया गया है। मेरी सरकार ने सुरक्षा के साथ-साथ स्थानीय विकास को भी सदैव बढ़ाते जाने की रणनीति अपनाई, जिसके कारण लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर लोगों का विश्वास और तेजी से मजबूत हो।

47. मेरी सरकार ने छत्तीसगढ़ को विकास के क्षेत्रीय असंतुलन से मुक्त करने हेतु एक ओर जहां नए जिलों, नए संभाग का गठन किया है, नए विकासखंडों और नई तहसीलों के गठन की प्रारंभिक प्रक्रिया चालू की है, वहीं पिछड़े जिलों में विशेष योजनाओं का संचालन भी किया है। माननीय सदस्यगण, राज्य की जनता की इच्छानुसार मेरी सरकार ने लगातार समरसता, सद्भाव और आपसी भाईचारे के साथ विकास की रणनीति पर कार्य किया है। मुझे विश्वास है कि आप सबके सहयोग से छत्तीसगढ़ के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों का समान विकास सुनिश्चित होगा और प्रदेशवासियों को समान अवसर मिलेंगे।

जय हिन्द

जय छत्तीसगढ़